N.S. Rs. 10/- Affixed

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
रु. 100
Rs. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
CANCELLED NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GM 872998

NOTARY D.P. Mishra Advocate Tahsil Milkipur FAIZABAD Reg No. 54(08) 2000 GOVT OF UP INDIA

(प्रारूप–"अ")

समक्षः प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

हम यदुवंश सिंह अध्यक्ष एवं राजेश कुमार सिंह प्रबन्धक बाबा बैजनाथ डॉ0 रामदेव भगौती सिंह शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय सेवा समिति, सराय धनेठी, अंजरौली, मिल्कीपुर, अयोध्या शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है–

धारा–1 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा आर0के0 मिशन कालेज ऑफ एलोपैथिक फार्मेसी नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

धारा–2 यह कि हमारी सोसाइटी सराय धनेठी, अंजरौली, मिल्कीपुर, अयोध्या में भूमि स्थित है गाटा संख्या 623अ/0.421हे0 तथा 623ब/0.583हे0 कुल रकबा 1.004हे0 भूमि है।

धारा–3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

धारा–4 यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 281मि0 रकबा–623अ/0.421हे0 तथा 623ब/0.583हे0 कुल रकबा 1.004हे0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 10.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।

धारा–5 यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

धारा–6 यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

NOTARY D.P. Mishra Advocate Tehsil Milkipur FAIZABAD Reg. No. 54108 2000 GOVT OF U.P. INDIA

धारा–7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

धारा–8 यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

धारा–9 यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जोयगा।

धारा–10 यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

धारा–11 यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

धारा–12 यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा–13 हम घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो हमारे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगें।

ह0 अध्यक्ष यदुवंश सिंह

ह0 प्रबंधक

The deponent ... Identified By Sri ... Sworn And Verified Before Me

... Adv 01-09-23

NOTARY ...-09-23